

नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा परियोजन
के लिए

राज्य सरकार का सहयोग समझौता

इनके बीच:

महाराष्ट्र के गवर्नर

("जीओएम")

और

सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ महाराष्ट्र लिमिटेड

("प्राधिकरण" के तौर पर)

और

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

("रियायत-प्राप्तकर्ता" के तौर पर)

दिनांक: 8 जनवरी, 2018

राज्य सरकार समर्थन समझौता

(खंड 4.1.2 (डी) (vi) और खंड 4.1.3 (i) देखें)

यह राज्य सरकार सहायता समझौता मुंबई में 8 जनवरी, 2018 को किया गया है।

द्वारा एवं के बीच:

महाराष्ट्र के राज्यपाल, जिनका प्रतिनिधित्व प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिनका मुख्य कार्यालय चौथी मंजिल, मंत्रालय, मैडम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 032, महाराष्ट्र में स्थित है (जिन्हें आगे "**महाराष्ट्र सरकार**" कहा गया है, और इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ इसके प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे);

और

सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U99999MH1970SGC014574 है और इसका पंजीकृत कार्यालय निर्मल, दूसरी मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021, महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया जा रहा है (जिन्हें आगे "**प्राधिकरण**" कहा गया है, और इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ इसके प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे);

और

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U45200MH2007PTC169174 है और इसका पंजीकृत कार्यालय हवाई अड्डा निदेशक का कार्यालय, टर्मिनल १-बी, सीएसआई हवाई अड्डा, सांताक्रूज़, मुंबई - 400 099, महाराष्ट्र में स्थित है (जिन्हें आगे "**रियायतग्राही**" कहा गया है, और इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ इसके प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमति प्राप्त समनुदेशिती और प्रतिस्थानी शामिल माने जाएंगे)।

जैसा कि संदर्भ के अनुसार आवश्यक हो, महाराष्ट्र सरकार, प्राधिकरण और रियायतग्राही को आगे संयुक्त रूप से "**पक्ष**" और व्यक्तिगत रूप से "**पक्षकार**" कहा गया है।

जबकि:

क. भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या AV.24011/1/95-VB (Vol.VI) दिनांक 6 जुलाई, 2007 ("**भारत सरकार स्वीकृति**") के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी ("**पीपीपी**") के तहत महाराष्ट्र राज्य के नवी मुंबई में सार्वजनिक उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की, जो उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन है, और उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार हवाई अड्डे की स्थापना करने का संकल्प लिया था।

ख. भारत सरकार की स्वीकृति के आधार पर, महाराष्ट्र सरकार ने अपने शासन निर्णय संख्या सीआईडी-3307/1541/प्र. क्र.-144/07/न वि-10 दिनांक 30 जुलाई, 2008 ("**महाराष्ट्र सरकार स्वीकृति**") के माध्यम से परियोजना (जैसा कि नीचे परिभाषित है) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, और परियोजना के विकास, संचालन और रखरखाव के उद्देश्यों के लिए प्राधिकरण को एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया।

ग. परियोजना के लिए प्रदान की गई स्वीकृतियों के आधार पर, पसंदीदा बोलीदाता के चयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोलियां आमंत्रित की गईं, और ऐसी प्रक्रिया के पूरा होने के अनुसरण में, पसंदीदा बोलीदाता का चयन किया गया तथा पसंदीदा बोलीदाता/निजी प्रतिभागियों की 74% (चौहत्तर प्रतिशत) शेयरधारिता और प्राधिकरण और/या इसके नामितों की 26% (छब्बीस प्रतिशत) शेयरधारिता के साथ रियायतग्राही का निगमन किया गया।

घ. रियायतग्राही के निगमन के उपरांत, प्राधिकरण और रियायतग्राही ने दिनांक 8 जनवरी, 2018 को एक रियायत समझौता ("**रियायत समझौता**") किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उन नियमों और शर्तों पर सहमति व्यक्त की गई और उनका प्रावधान किया गया, जिनके आधार पर रियायतग्राही डीबीएफओटी (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) के आधार पर हवाई अड्डे का विकास, संचालन और रखरखाव करेगा।

ङ. महाराष्ट्र सरकार स्वीकार करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्राधिकरण और रियायतग्राही को निरंतर सहायता तथा कुछ अधिकारों का प्रदान किया जाना आवश्यक है, जैसा कि इसके बाद निर्धारित किया गया है, और यह परियोजना के लिए संसाधनों जुटाने की एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है।

च. रियायतग्राही द्वारा रियायत समझौते को निष्पादित करने के एवज में और रियायत समझौते के तहत प्राधिकरण के दायित्वों के अतिरिक्त, रियायतग्राही के सुचारू संचालन और व्यावहारिकता को बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र सरकार रियायतग्राही को कुछ सहायता प्रदान करने पर सहमत है, जैसा कि यहाँ कहा गया है।

अब इसके द्वारा निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस समझौते में, उस सीमा को छोड़कर जहाँ संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो और जब तक कि नीचे या इस समझौते में अन्यथा विशेष रूप से परिभाषित न किया गया हो, यहाँ प्रयुक्त (और यहाँ अपरिभाषित) अन्य मुख्य परिभाषित शब्दों का वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते के तहत उन शब्दों को दिया गया है:

"**समझौता**" से तात्पर्य इस राज्य सरकार सहायता समझौते से होगा;

"**स्वीकृतियां/क्लियरेंस**" से तात्पर्य उस लिखित सहमति, लाइसेंस, अनुमोदन, परमिट, आदेश, छूट, अनापत्ति प्रमाण पत्र या किसी भी प्रकृति के अन्य अधिकार या अनुमति से है जिसे

परियोजना के संबंध में समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त किया जाना अनिवार्य है और/या उनके द्वारा प्रदान किया जाना है;

"सत्ता/इकाई" से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति, निगमित निकाय, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म या व्यक्तियों/व्यक्तियों के अन्य संघ से है, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं;

"मौजूदा प्रवेश और निकास" का वही अर्थ है जो इसके तहत खंड 2.1 में दिया गया है;

"भारत सरकार" से तात्पर्य भारत सरकार और उसके नियंत्रण तथा निर्देशन के अधीन किसी भी एजेंसी, प्राधिकरण (किसी नियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षक, मंत्रालय या वैधानिक व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) से है;

"भारत सरकार स्वीकृति" का वही अर्थ है जो इसके तहत प्रस्तावना क में दिया गया है;

"महाराष्ट्र सरकार" से तात्पर्य महाराष्ट्र सरकार और उसके नियंत्रण तथा निर्देशन के अधीन किसी भी एजेंसी, प्राधिकरण (किसी नियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षक, मंत्रालय या वैधानिक व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) से है;

"महाराष्ट्र सरकार स्वीकृति" का वही अर्थ है जो प्रस्तावना ख में दिया गया है;

"पीपीपी" का वही अर्थ है जो प्रस्तावना क में दिया गया है;

"परियोजना" से तात्पर्य रियायत समझौते के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के डिजाइन, विकास, निर्माण, आधुनिकीकरण, उन्नयन, वित्तपोषण, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव से है;

"अवधि" का वही अर्थ है जो इसके तहत खंड 3.1 में दिया गया है;

"तृतीय पक्ष" से तात्पर्य किसी भी ऐसी सत्ता/इकाई से है जो इस समझौते का पक्षकार नहीं है;

"उपयोगिताएं" संयुक्त रूप से हवाई अड्डे पर पानी, बिजली और मल जल निपटान तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को संदर्भित करती हैं, और "उपयोगिता" उनमें से किसी एक को संदर्भित करती है।

1.2 व्याख्या के नियम

1.2.3 इस समझौते में प्रयुक्त और परिभाषित शब्द और भाव, जिनका प्रारंभिक अक्षर बड़ा है, का वही अर्थ होगा जो यहाँ उन्हें दिया गया है, और इस समझौते में प्रयुक्त शब्द और भाव जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं लेकिन रियायत समझौते में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में उन्हें दिया गया है, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो।

1.2.2 खंडों के संदर्भ, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, इस समझौते के खंडों के संदर्भ हैं।

1.2.3 रियायत समझौते के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में बताए गए व्याख्या के नियम, यथ आवश्यक परिवर्तन सहित, इस समझौते पर लागू होंगे।

2. महाराष्ट्र सरकार सहायता

2.1 हवाई अड्डे तक सतह पहुँच (सड़क/परिवहन पहुँच)

पक्षकार इसके द्वारा स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में हवाई अड्डे तक पहुँचने या वहां से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका आमरा मार्ग ("मौजूदा प्रवेश और निकास") के माध्यम से है। पक्षकार आगे स्वीकार करते हैं कि हवाई अड्डे पर बढ़ते यात्रियों और अन्य यातायात की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा प्रवेश और निकास अपर्याप्त हो सकता है। पूर्वापूर्वावलोकन को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र सरकार इसके द्वारा पुष्टि करती है कि वह हवाई अड्डे पर बढ़ते यात्रियों और अन्य यातायात के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए मौजूदा प्रवेश और निकास के उन्नयन, आधुनिकीकरण और रखरखाव के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगी और रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार, हवाई अड्डे के भीतर और आसपास के क्षेत्र के लिए समग्र नगर नियोजन के अनुसार तथा इसके संबंध में रियायतग्राही द्वारा प्रदान किए गए ऐसे इनपुट (यदि कोई हो) को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें महाराष्ट्र सरकार अपने विवेक से उपयुक्त समझे, हवाई अड्डे तक पहुँचने और वहां से बाहर निकलने के लिए सार्वजनिक परिवहन के अतिरिक्त साधनों (जैसे रेलवे/मेट्रो कनेक्शन) को विकसित करने का उचित प्रयास करेगी। इस दिशा में, सतह पहुँच विकास के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मास्टर प्लान के विकास के दौरान महाराष्ट्र सरकार और रियायतग्राही एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

2.2 उपयोगिताएं

पक्षकार स्वीकार करते हैं कि आगे चलकर, जैसे-जैसे रियायत समझौते में परिकल्पित तरीके से हवाई अड्डे का विकास और विस्तार होगा तथा समय बीतने के साथ हवाई अड्डे पर यात्रियों और अन्य यातायात में वृद्धि होगी, उपयोगिताओं की क्षमता का विस्तार करने की आवश्यकता हो सकती है। पूर्वापूर्वावलोकन को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र सरकार इसके द्वारा पुष्टि करती है कि वह भुगतान के आधार पर हवाई अड्डे के लिए पर्याप्त मात्रा में उपयोगिताएं (उस सीमा तक जहाँ ये सेवाएं आमतौर पर महाराष्ट्र सरकार या उसके विभागों/एजेंसियों/महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती हैं) प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगी, ताकि हवाई अड्डे के विकास और विस्तार को सक्षम बनाया जा सके और बढ़ते यात्रियों तथा अन्य यातायात की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। महाराष्ट्र सरकार आगे पुष्टि करती है कि वह उपयोगिताओं के संबंध में मौजूदा सुविधाओं को बनाए रखने और विकसित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगी (उस सीमा तक जहाँ ये सेवाएं आमतौर पर महाराष्ट्र सरकार या उसके विभागों/एजेंसियों/महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली संस्थाओं द्वारा बनाए रखी जाती हैं)।

2.3 हवाई अड्डे पर सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं

2.3.1 पक्षकार इसके द्वारा स्वीकार करते हैं कि हवाई अड्डे के भीतर और आसपास स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि पक्षियों और जानवरों की उपस्थिति से बचा जा सके, जो हवाई अड्डे के सुचारू संचालन में बाधा डाल सकते हैं और विमान की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। तदनुसार, महाराष्ट्र सरकार इसके द्वारा पुष्टि करती है कि वह इस तरह के क्षेत्र में पक्षियों और जानवरों की उपस्थिति के परिणामस्वरूप हवाई अड्डे के संचालन में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप या नुकसान को रोकने के लिए हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने का प्रयास करेगी।

2.3.2 महाराष्ट्र सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हवाई अड्डे पर सामान्य और नियमित पुलिस व्यवस्था प्रदान करने का खर्च स्वयं वहन करेगी। महाराष्ट्र सरकार को उक्त कार्य को करने में सक्षम बनाने के लिए रियायतग्राही अपने खर्च पर हवाई अड्डे पर उचित कार्यालय आवास उपलब्ध कराएगा।

2.3.3 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, पक्षकार इसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमति व्यक्त करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने से उत्पन्न या उसके संबंध में किसी भी तीसरे पक्ष या रियायतग्राही के किसी भी और सभी कार्यों, कार्यवाहियों, नुकसानों, क्षतियों, देनदारियों, दावों, लागतों और खर्चों के लिए न तो जिम्मेदार होगी और न ही उत्तरदायी होगी।

2.4 स्वीकृतियां (क्लियरेंस)

2.4.1 पक्षकार इसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमति व्यक्त करते हैं कि परियोजना को शुरू करने और कार्यान्वित करने के लिए लागू कानून द्वारा आवश्यक सभी स्वीकृतियां प्राप्त करना और हर समय बनाए रखना रियायतग्राही की एकमात्र जिम्मेदारी और दायित्व होगा, जैसा कि रियायत समझौते में विस्तार से निर्धारित किया गया है। इस दिशा में, लागू कानून के पूर्ण अनुपालन में रियायतग्राही द्वारा आवेदन किए जाने पर (बशर्ते कि लागू कानून के तहत, रियायतग्राही ऐसी स्वीकृति प्राप्त करने का हकदार हो और रियायतग्राही ने उचित प्रक्रिया और समय के भीतर अपना आवेदन किया हो), महाराष्ट्र सरकार संबंधित वैधानिक अवधि (यदि कोई हो) के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने का प्रयास करेगी, और जहाँ कोई वैधानिक अवधि निर्धारित नहीं है, वहाँ महाराष्ट्र सरकार संबंधित आवेदन के विधिवत पूरे होने और लागू कानूनों के पूर्ण अनुपालन में प्रस्तुत किए जाने के बाद उचित समय के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने का प्रयास करेगी।

2.4.3 स्वीकृतियां (क्लियरेंस) प्रदान करने की प्रक्रिया को आसान और सुगम बनाने के लिए, महाराष्ट्र सरकार, नगर विकास विभाग के उप सचिव या उससे ऊपर के स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करेगी। यह अधिकारी महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण और निर्देशन के अधीन संबंधित एजेंसियों, प्राधिकरणों, विभागों, निरीक्षकों और मंत्रालयों के साथ संपर्क (लायजनिंग) साधने में रियायतग्राही को सहायता प्रदान करेगा।

2.4.4 रियायतग्राही इसके द्वारा वचन देता है कि स्वीकृतियां शीघ्र प्राप्त करने के उद्देश्य से, वह लगन और समयबद्ध तरीके से:

(क) लागू कानूनों का पूर्ण अनुपालन करने वाले आवेदन तैयार करेगा और संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष दाखिल करेगा; और

(ख) संबंधित प्राधिकरणों के साथ उक्त आवेदनों का निरंतर फॉलो-अप (अनुवर्ती कार्रवाई) करेगा।

2.5 राज्य स्तरीय कर और लेवी (शुल्क)

रियायतग्राही से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, महाराष्ट्र सरकार निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगी:

2.5.1 महाराष्ट्र राज्य में रियायत समझौते के निष्पादन और वितरण पर देय स्टॉप शुल्क के भुगतान से छूट;

2.5.2 एनएमडीएलआर की शर्तों के अनुसार वर्तमान में देय 'जल संसाधन विकास शुल्क' को नियत तिथि से अधिकतम 10 (दस) वर्षों की अवधि तक स्थगित करना। यदि रियायतग्राही ऐसा कोई अनुरोध करता है, तो उसे नियत तिथि से 11वें वर्ष के प्रारंभ होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर ऐसे आस्थगित 'जल संसाधन विकास शुल्क' का भुगतान करना होगा। इस राशि पर 3% (तीन प्रतिशत) प्लस बैंक दर प्रति वर्ष की दर से त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज भी लागू होगा।

3. अवधि और समाप्ति

3.1 अवधि

3.1.1 खंड 2 और खंड 5 को छोड़कर, यह समझौता इसके प्रथम लिखे गए पृष्ठ की तारीख से प्रभावी माना जाएगा।

3.1.2 इस समझौते के खंड 2 और खंड 5 नियत तिथि से मान्य और प्रभावी होंगे।

3.1.3 रियायत समझौते के किसी भी कारणवश निरस्त होने और/या समय से पहले समाप्त होने पर यह समझौता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा ("**अवधि**").

3.2 समाप्ति

3.2.1 यदि रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा नियत तिथि प्राप्त नहीं की जाती है, तो यह समझौता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा और प्रभावी नहीं होगा।

3.2.2 यह समझौता रियायत समझौते के साथ ही समाप्त होगा।

3.2.3 इस समझौते के तहत रियायतग्राही को प्रदान किए गए अधिकार और लाभ रियायतग्राही के किसी भी उत्तराधिकारी, अनुमति प्राप्त समनुदेशिती, या किसी अन्य व्यक्ति (प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी भी उत्तराधिकारी सहित) को स्थानांतरित हो जाएंगे और उनके लाभ के लिए लागू रहेंगे।

जो रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार किसी भी समय हवाई अड्डे का संचालन कर सकता है।

4. प्रतिनिधित्व और वारंटी

4.1 रियायतग्राही द्वारा

रियायतग्राही इसके द्वारा महाराष्ट्र सरकार को प्रतिनिधित्व करता है और वारंटी देता है कि रियायत समझौते के तहत उसके द्वारा किए गए प्रत्येक प्रतिनिधित्व और वारंटी, इस समझौते के उद्देश्यों के लिए भी उसी रूप और तरीके से यथ आवश्यक परिवर्तन सहित सत्य और सही रहेंगे, जिसमें बिना किसी सीमा के इस समझौते के निष्पादन और वितरण के लिए उसकी शक्ति, अधिकार और आवश्यक कॉर्पोरेट कार्रवाइयां शामिल हैं।

4.2 महाराष्ट्र सरकार द्वारा

महाराष्ट्र सरकार इसके द्वारा कंपनी को प्रतिनिधित्व करती है और वारंटी देती है कि उसके पास सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर इस समझौते को निष्पादित करने, अपने अधिकारों का प्रयोग करने और इस समझौते के तहत अपने कार्यों का निष्पादन करने का अधिकार, शक्ति और प्राधिकरण है, और उसने इसके लिए आवश्यक सभी कार्रवाइयां की हैं।

5. समन्वय तंत्र

इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे को महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित की जाने वाली एक समन्वय समिति के तंत्र के माध्यम से हल किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव करेंगे और इसमें भारत सरकार तथा अन्य संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

यह समझौता महाराष्ट्र राज्य द्वारा किसी भी दायित्व के प्रवर्तन के लिए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा और परिणामस्वरूप रियायतग्राही या किसी भी पक्ष द्वारा उठाए गए नुकसान/हानि आदि के लिए भी कोई अधिकार नहीं देगा।

6. गवर्निंग लॉ और विवाद निवारण

6.1 यह समझौता (इस खंड 6 सहित) और इसके व्याख्या से जुड़े सभी प्रश्नों का अर्थ भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार लगाया जाएगा।

6.2 पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि वे इस समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को सद्भावनापूर्वक परामर्श के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा परामर्श किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को परामर्श के लिए लिखित अनुरोध देने के तुरंत बाद शुरू होगा। बशर्ते कि यदि परामर्श शुरू होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर ऐसे सद्भावनापूर्वक परामर्श से विवाद का समाधान नहीं निकलता है, तो खंड 6.3 के प्रावधान लागू होंगे।

6.3 मध्यस्थता

6.3.1 कोई भी विवाद, जिसे पक्षकारों द्वारा सौहार्दपूर्ण समाधान के माध्यम से हल नहीं किया जा सका (जैसा कि ऊपर खंड 6.2 के तहत प्रदान किया गया है), उसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से हल किया जाएगा।

6.3.2 विवादों को 3 (तीन) मध्यस्थों से बने एक न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता का प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और इस प्रकार नियुक्त दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे जो न्यायाधिकरण के अध्यक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (जो मिलकर "मध्यस्थता न्यायाधिकरण" का गठन करेंगे)। मध्यस्थता की कार्यवाही... के अनुसार संचालित की जाएगी।

नियमावली

6.3.3 ऐसा मध्यस्थता संचालन, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, मुंबई, भारत में आयोजित किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।

6.3.4 मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्णय पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

6.3.5 इस खंड 6 के अधीन रहते हुए, मुंबई स्थित न्यायालयों के पास इस समझौते पर क्षेत्राधिकार होगा।

7. विविध

7.1 सूचना

7.1.1 इस समझौते की शर्तों के तहत आवश्यक या अनुमत या कानून द्वारा आवश्यक कोई भी सूचना (जब तक कि अन्यथा सहमति न हो) लिखित रूप में होगी और उसे व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जाएगा, पंजीकृत डाक या एयर मेल द्वारा उचित रूप से प्रेषित किया जाएगा, पूरी तरह से पूर्व-भुगतान वाले लिफाफे में उचित पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा या संबंधित पक्षों को निम्नानुसार फैक्स द्वारा भेजा जाएगा:

महाराष्ट्र सरकार

पता: चौथी मंजिल, मंत्रालय (मुख्य), मुंबई - 400 032, महाराष्ट्र

ध्यानार्थ: प्रधान सचिव (यूडी-1), नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार

ई-मेल: psec.ud@maharashtra.gov.in

फैक्स नं.: +91-22-22026258

प्राधिकरण:

पता: दूसरी मंजिल, निर्मल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021, महाराष्ट्र

ध्यानार्थ: उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ई-मेल: cidcomdoffice@gmail.com

फैक्स नं. : +91-22-22022509

रियायतग्राही:

पता: टर्मिनल 1, पहली मंजिल, सीएसआई हवाई अड्डा, सांताक्रूज़ (पूर्व), मुंबई - 400 099, महाराष्ट्र

ध्यानार्थ: प्रबंध निदेशक

ई-मेल: sanjayreddy@gvk.com

फैक्स नं. : +91-22-66851618

या ऐसे अन्य पते या फैक्स नंबर पर जो समय-समय पर नोटिस द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

7.1.2 ऐसा कोई भी नोटिस अंग्रेजी भाषा में होगा और इसे वास्तव में दिए जाने के समय माना जाएगा यदि इसे हाथ से दिया गया है, या फैक्स द्वारा भेजने के बाद अगले कार्य दिवस पर या किसी अन्य घटना में इसे यहां पहले प्रदान किए गए तरीके से मेल करने के बाद 7 दिनों के भीतर दिया गया है।

7.2 पृथक्करण

इस करार में निहित किसी भी या किसी भी शर्त, शर्तों या प्रावधानों को किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अमान्य, गैरकानूनी या अप्रवर्तनीय निर्धारित किए जाने की स्थिति में, ऐसी शर्तें, शर्तें या प्रावधान उस सीमा तक शेष शर्तों, शर्तों और प्रावधानों से अलग कर दिए जाएंगे जो कानून द्वारा अनुमत पूर्ण सीमा तक वैध और लागू होते रहेंगे।

7.3 संपूर्ण समझौता

यह अनुबंध इसके विषय के संबंध में पक्षकारों के बीच संपूर्ण समझ का गठन करता है।

यह पूर्व के सभी समझौतों, चर्चाओं या समझ (चाहे मौखिक हों या लिखित) को पूरी तरह से निरस्त और प्रतिस्थापित करता है।

7.4 संशोधन

इस समझौते में कोई भी परिवर्धन, रूपांतरण या संशोधन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और सभी पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित न किया गया हो।

7.5 समनुदेशन (हस्तांतरण)

कोई भी पक्षकार लागू कानून में भविष्य के परिवर्तनों की परवाह किए बिना, प्राधिकरण के बिना इस समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार, दायित्व, लाभ या प्रतिभूति हितों को समनुदेशित (हस्तांतरित), अंतरित या प्रभारित नहीं कर सकता है।

7.6 छूट न होना (अपरित्याग)

इस समझौते के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का प्रयोग करने में जीओएम या प्राधिकरण की ओर से कोई विफलता नहीं होगी, और न ही किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार के प्रयोग को रोकेंगे। अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, इस समझौते में प्रदान किए गए अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपचार संचयी हैं और किसी अन्य अधिकार, शक्तियों, विशेषाधिकारों या उपचारों (चाहे कानून द्वारा प्रदान किए गए हों या अन्यथा) के अनन्य नहीं हैं।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम लिखित दिन और वर्ष को अपने विधिवत अधिकृत अधिकारियों और प्रतिनिधियों द्वारा इस समझौते को निष्पादित कराया है।

पक्षकार / संस्था	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	साक्षी
महाराष्ट्र के राज्यपाल	प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार	एस. डी. यादव उप सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल
सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड	श्री भूषण गगरानी उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री सोमा विजयकुमार मुख्य महाप्रबंधक (परिवहन एवं हवाई अड्डा), सिडको
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	डॉ. जी.वी.के. रेड्डी अध्यक्ष	राजीव कुमार जैन मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पक्षकार / संस्था	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	साक्षी
(NMIAPL)		(CEO), MIAL